न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 167 / 2011

आरसीएमएस नं. 2011 / 294

1. देवीलाल पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान त0 नोहर।
2. अमरसिंह पि0 मु0 जोधाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर

—असल रेस्पोडेण्ट

2. चेतराम पुत्र रामचन्द जाति धाणक साकिन ढिलकी जाटान त0 नोहर।
3. मांगेराम
4. रूलीराम

} पि0 रामलाल जाति धानक साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

5. मु0 पारी
6. मु0 कलावती
7. मु0 तारावती

} पुत्रीयान रामलाल जाति धानक साकिन ढिलकी जाटान त0 नोहर

8. रामकुमार
9. धनीराम
10. दलीप
11. नरेश

} पि0 मु0 दयाकौरी पुत्री जोधाराम जाति धानक निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

12. मु0 बिदामी
13. मु0 किताब
14. मु0 रामदेई

} पुत्रीयां मु0 दयाकौरी पुत्री जोधाराम जाति धानक निवासी ढिलकी तहसील नोहर।

15. मु0 राजा बेवा नत्थूराम जाति धानक निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

16. रामसिंह पुत्र नत्थूराम जाति धानक निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

17. मु0 विमला
18. मु0 रोशनी
19. मु0 शकुन्तला
20. मु0 सावित्री
21. मु0 धारा
22. मु0 कैला देवी

पुत्रीयान नत्थूराम जाति धानक सा0 ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

23. हंसमुख पुत्र श्रवण पुत्र नत्थूराम नाबालिग जरिये बली दादा0 मु0 राजा बेवा नत्थूराम जाति धानक निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर।
प्रकरण संख्या 136/2008, अनवान रामसिंह आदि बनाम स्टेट आदि

उपस्थितिः—
श्री विजय सिंह कड़वासरा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

निर्णय दिनांक 06.7.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रामसिंह व अमरसिह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 193 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि रोही मोजा ढीलकी जाटान के साबिका ख. नं. 128 की 76.19 बीघा खाम वक्त भूमि एककरण होने चक नं0 11 बारानी दावा की मद नं0 3 में दर्ज 9.589 है0 भूमि में परिवर्तित होने एवं वादीगण

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की माफी चाकरान की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि होने का कथन करते हुए वादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 15 ता 23 को ब0हि0ब0 1/3 हिस्सा वादी नं0 2 का 1/6 हि0 प्रतिवादी नं0 8 ता 14 को ब0हि0ब0 1/6 हिस्सा के अनुसार बतौर खातेदारी काश्तकार दर्ज करने की घोषणा करने एवं विवादित भूमि में मृतक नत्थूराम, रामलाल, मु0 दयाकौरी का नाम कलमजन करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि सम्वत 2012 की गिरदावरी में रूपा की काश्त दर्ज नहीं होने से माफी की भूमि नहीं है इसलिए खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद वादी खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी साबित नहीं होने के कारण खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में कुल तीन तनकीयात कायम की गई थी तनकी नं. 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण अपीलाण्ट के पास था तथा यह साबित था कि विवादित भूमि सन् 1966 में वादीगण अपीलाण्ट के कब्जा में बतौर माफी चाकरान थी और उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके थे। मगर अदालत मातहत ने बना कोई कारण दर्ज किये वाद वादीगण अपीलाण्ट खारिज कर दिया जिससे वादीगण अपीलाण्ट के हकूक का हनन होता है और वादीगण अपीलाण्टान उक्त निर्णय व डिक्री को मन्सूख करवाने वाद वादीगण डिक्री करवाने के हकदार हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून नियम व वाक्यात व रूएदाद मिसल है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजत का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। वादी नं0 1 व 2 वादी नं0 2 व प्रतिवादी नं0 2 ता 23 के वाल्दैन विलेज सर्वेन्ट थे। विलेज सर्वेन्ट होने के कारण उक्त विवादित भूमि के काश्तकार थे, तथा उक्त भूमि अब भी अपीलाण्ट रेस्पो0 सं0 2 ता 23 के कब्जा काश्त में है। अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 2 ता 23 उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं तथा अदालत मातहत ने उनको खातेदार कातश्कार न मानकर कानूनी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Law

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 1 को साबित नहीं मानकर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि रूपा वल्द फरसा के नाम माफी दर्ज नहीं है। यह उपनिवेशन विभाग द्वारा जो पर्चा लगान जारी किया गया है वह आराजी राजकीय भूमि मानकर 39 बीघा 16 बिस्वा का जारी किया गया है। पहले यह भूमि खाम थी जिसके कारण पक्के बीघा में रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा की शेष भूमि कहां गई। इसका विवरण अपीलाण्ट एवं वादीगण ने नहीं लिखा है। मुताबिक जमाबन्दी वादीगण तथा प्रतिवादीगण गैर खातेदार अंकित है। रूपा कब फौत हुआ व वारिसों का नाम कब आया इसका विवरण अंकित नहीं है। सम्वत 2012 की गिरदावरी में रूपाराम की काश्त अंकित नहीं है जब रूपाराम की काश्त ही नहीं है, तो रूपाराम को विलेज सरवेन्ट नहीं माना जा सकता है। सम्वत 2012 से बाद में मौके पर काश्त रूपाराम के लड़कों की रही हे वे विलेज सरवेन्ट नहीं थे। अतः इनको निःशुल्क खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस भूमि की मालिक राज्य सरकार है इसमें आवश्यक पक्षकार है इसलिए धारा 80 सीपीसी के नोटिस पर इनको निःशुल्क खातेदारी नहीं दी जा सकती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी चक 11 बारानी संवत 2058 प्रदर्श–1, नकल पर्चा ख्वातोनी चक 11 बारानी प्रदर्श–2, ता 15 प्रदर्श–4 चित्रप्रति मृत्युप्रमाण पत्र नकल नोटिस दफा 80 सीपीसी प्रदर्श–5 आदि पत्रावली में उपलब्ध है। प्रदर्श–1 से नकल चक 11 बारानी संवत 2058 से यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि गैर खातेदार दर्ज कागजात है, जिसमें माफी होना कहीं भी अंकित नहीं है। प्रदर्शन 2 पर्चा खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि रूपा पुत्र फरसा की दर्ज कागजात थी तथा उपर माफी बेगार लिखा है। प्रदर्श–4 खसरा

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गिरदारी संवत 2012 से 2015 में कॉलम 5 में रूपा वल्द फरसा धानक अंकित हैं। कृषक के कॉल में रामचन्द्र हिस्सेदार दर्ज है। अपीलाण्ट वादी ने पर्चा खतौनी के अलावा अन्य कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 23 के मुतवफी रूपा को माफी चाकरान के रूप में भूमि दी गयी हो। अपील स्तर पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह भूमि माफी चाकरान के रूप में दी गई हो। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2011 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक 6.7.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/7/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़